

Form No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर  
सरकार बनाम निरंजनराम आदि

किस्म मुकदमा:- धारा अन्तर्गत 131 व 132 एलआरए

नं. मुकदमा.....15..... /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

03/02/22

तहसीलदार लूनकरणसर से ग्राम/चक मलकीसर के मुरबा /खसरा नम्बर 306, 307, 309, 216, 715/217, 716/217, 717/217, 718/217, 218, 219, 221 मे से होकर सार्वजनिक रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्राप्त रास्ता प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि मौके पर सार्वजनिक आवागमन के रूप में रास्ता चालू हैं। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार लूनकरणसर के द्वारा अभिशंषित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेष में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरणसर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैं-

क. सं	मु. नम्बर /ख.न.	रकबा बीघा में	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा हैं।	नाम खातेदार
1.	306	2.92	बा.2	0.08	निरंजनराम पुत्र ठाकरराम जाट
2.	307	8.75	बा.2	0.24	प्रभुराम व ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाट
3.	309	10.75	बा.2	0.29	सीताराम, भगवानाराम, पप्पूराम, भूराराम पि. नेतराम वर्गे
4.	216	1.11	बा.2	0.06	अराजीराज
5.	715/217	1.77	बा.2	0.04	तुलछा पत्नी चूनदास स्वामी
6.	716/217	1.26	बा.2	0.03	शिवलाल पुत्र लिच्छीराम जाट
7.	717/217	5.06	बा.2	0.11	गौरीशंकर पुत्र चूनदास व रणजीत पुत्र डूंगरदास
8.	718/217	4.81	बा.2	0.10	छोट्टूदास पुत्र चूनदास
9.	218	1.05	बा.2	0.04	हीराराम पुत्र रेवतराम सिंह
10.	219	4.05	बा.2	0.18	गुडडीदेवी पत्नी इमीगर वगैरह
11.	221	6.29	बा.2	0.13	बृजोदेवी पत्नी फूसगर, तिलोकगर पुत्र फूसगर गुंसाई

उक्त कृषिभूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुऐ रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार लूनकरणसर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेंगे। तदानुसार तहसीलदार लूनकरणसर को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

